न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

GCMS No. 2022/
Manual no- 27 /2022

(Bank Case)

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आर.ए.सी.पी.सी., कोटा

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री बृज मोहन शर्मा (ऋणी / बंधनकर्ता)
   पता पुराना– मकान नं. 518, केशवपुरा, सेक्टर–7, कोटा
   पता नया– प्लॉट नं. 39, आकाश नगर, बोरखेडा, कोटा
2. श्रीमती बाल कंवर पत्नी श्री दिनेश चन्द (जमानती)
   पता पुराना– मकान नं. 518, केशवपुरा, सेक्टर–7, कोटा
   पता नया– प्लॉट नं. 39, आकाश नगर, बोरखेडा, कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 25-4-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आर.ए.सी.पी.सी., कोटा से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.10.2014 को 20,82,000/– (अक्षरेः रूपये बीस लाख बयासी हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री दिनेश चन्द शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन शर्मा की अचल सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 69, अम्बिका आवास, ग्राम रामचन्द्रपुरा, बारां रोड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज.) में स्थित है, जिसकी माप लगभग 111.11 वर्ग गज है। जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2014 से श्री दिनेश चन्द शर्मा के नाम है। चतुःसीमा– पूर्व में– प्लॉट नं. 70, पश्चिम में– प्लॉट नं. 68 , उत्तर में– प्लॉट नं. 58, दक्षिण में– रोड, है** को प्रार्थी ने वित्तिय सस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 21,71,053 रूपये (अक्षरेः– इक्कीस लाख इकत्तर हजार तिरेपन रूपये मात्र) दिनांक 11.08.2021 तक व दिनांक 12.08.2021 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तिय सस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तिय सस्था को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 11.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 11.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **श्री दिनेश चन्द शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन शर्मा की अचल सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 69, अम्बिका आवास, ग्राम रामचन्द्रपुरा, बारां रोड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज.) में स्थित है, जिसकी माप लगभग 111.11 वर्ग गज है। जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2014 से श्री दिनेश चन्द शर्मा के नाम है। चतुःसीमा– पूर्व में– प्लॉट नं. 70, पश्चिम में– प्लॉट नं. 68 , उत्तर में– प्लॉट नं. 58, दक्षिण में– रोड,** है का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तिय सस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25-4-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)